न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट

रीवा (म0प्र0) R 1098- II-17

सीताबाई कुशवाहा पत्नी वृजलाल कुशवाहा, साकिन रीवा रोड़ अमरपाटन, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म0प्र0)

———————निगरानीकर्ता / आवेदिका

बनाम

रामबिहारी बढ़ई तनय रामसुजान बढ़ई, निवासी ग्राम अमरपाटन, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म0प्र0)

————गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदक

श्री डॉ. सतीश कुमार द्विवेदी एड. द्वारा आज दि. 06.04.2017 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त अमरपाटन, तहसील अमरपाटन, जिला सतना प्रकरण कमांक–28–अ–12 / 2015–16 आदेश दिनांक 23 / 05 / 2016 वावत् किये जाने सीमांकन आराजी नम्बर–240 / 1 / ख / 3 रकवा 0.007 हे0 स्थित मौजा उमराही मधुरियान, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म0प्र0)

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न है :–

1– यह कि राजस्व निरीक्षक वृत्त अमरपाटन द्वारा जरिये प्रकरण कमांक–28–अ–12 / 2015–16 आदेश दिनांक 23 / 05 / 16 विधि प्रकिया तथा तथ्य एवं प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से त्रुटिपूर्ण है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

2– यह कि राजस्व निरीक्षक द्वारा मूल आराजी नम्बर–240 के कायम

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निग.1098-II/2017 जिला–सतना

सीताबाई कुशवाहा विरूद्ध रामबिहारी बढ़ई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
01–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त अमरपाटन, तहसील अमरपाटन, जिला–सतना के प्रकरण क्रमांक 28/अ–12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 23–05–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 02–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 01.3.19	